GRPI 174/26 8 08 DCGRPI 3,00,000 Forms

II-155
C.J.

ORDER SHEET

(दिनेश मीणा)

THE COURT न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण कमांक ....

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ....बेटमा.... वि० ....

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16/3/2020	आरक्षी केन्द्र बेटमा की ओर से आरक्षक ...... क्रमांक ...... द्वारा अपराध क्रमांक ...... में आरोपी बद्री राठौर पिता धावर राठौर नि. शंकरपुरा के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।	

अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा 190(1)(ख) द.प्र.स. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दांडिक प्रकरणों की पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा 207 द.प्र.स. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे।

आरोपी आज स्वंय उपस्थित है।

उसके प्रकट किया है कि वह स्वंय अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते है। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नही है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरूद्ध उपयोग में लिया जाकर उसके कारावास के दंडादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वहा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।

तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व रु. 5000/- (अक्षरी पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रूपये रु. 5000/- ई पैमेंट 0070 4604 पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई।

निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी में अंकित कर समयावधि में प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

(दिनेश मीणा)
जे0एम0एफ0सी0 देपालपुर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

पुनःश्च

अभियुक्त का न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर प्रत्यक्ष में रिहा किया गया।

जे0एम0एफ0सी0 देपालपुर
(दिनेश मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner